क्रम	हुक्म या कार्यवाही	इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	30.6.25 पत्रावली मूल वाद के संलग्न पत्रावली में ली गई। चूंकि मूल वाद डिग्री में खारिज हो चुका है। अतः प्रा० पत्र धारा 212 RTA अनवानी सत्यपाल व राजाराम खारिज किया जाता है। प्रा० पत्र के सला शुमार नं० से कम किया जाकर मूल वाद के संलग्न दाखिल दफ्तर हो।	